छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर–अटल नगर

क्र. 2881 /एफ–1–126/31/एस–2/2021, नवा रायपुर, दिनाँक 17/06/2022

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **दुर्ग जिले के खपरी मुख्य नहर के आर.डी. 1140 से 1500 मी., आर.डी. 2580 मी. आर.डी. 4350 मी. व्ही.आर.बी. 4680 मी. आर.डी. 5610 मी., आर.डी. 6600 मी., आर.डी. 7100 मी. एवं आर.डी. 8950 मी. पर पक्के संरचनाओं का नव निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :– प्र.अ.का पत्र क्र.–1168/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2021/9944, दिनांक 27.11.2021.

राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के खपरी मुख्य नहर के आर.डी. 1140 से 1500 मी., आर.डी. 2580 मी. आर.डी. 4350 मी. व्ही.आर.बी. 4680 मी. आर.डी. 5610 मी., आर.डी. 6600 मी., आर.डी. 7100 मी. एवं आर.डी. 8950 मी. पर पक्के संरचनाओं का नव निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रू. 160.60 लाख (रूपये एक करोड़ साठ लाख साठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।
3. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
4. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–75, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, लेखाशीर्ष–4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, [06]–खपरी परियोजाना {800}, अन्य व्यय, 0311 नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य), (5188) मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड), #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
5. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 18.05.2022 में समिति की अनुशंसा एवं माननीय मंत्रीजी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त की गई है।
6. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नही होगी।
7. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
8. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
16/06/22
(प्रेमसिंह घरेन्द्र)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

\\10.132.49.133\e\WRD-2017\WRD 2017\Hindi Letter\AAAA.AADESH - 60meeting.docx

(27)

पृ.क्र 2882 /एफ–1–126/31/एस–2/2021, नवा रायपुर, दिनाँक 17/06/2022

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर ।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, अटल नगर ।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.–एम 4–22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर–अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

16/06/22
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

\\10.132.49.133\e\WRD-2017\WRD 2017\Hindi Letter\AAAA.AADESH - 60meeting.docx